COURT FEE — दस रुपये TEN RUPEES; बीस रुपये TWENTY RUPEES — CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् मंडल/बोर्ड ग्वालियर संभाग, जबलपुर

म0 प्र0

(166)

प्रक. क्रं. R-2104-III/13 /13 दिनांक: 23/03/13

श्री डी. पी. खरे
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता
23 MAR 2013
कार्यालय ...

1. महेन्द्र सरैया आत्मज स्व. कंधीलाल उम्र 48 वर्ष जाति कोल
2. वीरेन्द्र सरैया आत्मज स्व. कंधीलाल उम्र 45 वर्ष जाति कोल
3. नरेन्द्र सरैया आत्मज स्व. कंधीलाल उम्र 42 वर्ष जाति कोल
4. राजेन्द्र सरैया आत्मज स्व. कंधीलाल उम्र 40 वर्ष जाति कोल
5. देवेन्द्र सरैया आत्मज स्व. कंधीलाल उम्र 38 वर्ष जाति कोल
6. धनेश्वरी बाई आत्मज स्व. कंधीलाल उम्र 34 वर्ष जाति कोल
7. जीराबाई सरैया आत्मज स्व. कंधीलाल उम्र 31 वर्ष जाति कोल

सभी निवासी ग्राम जोगीटिकरिया तहसील व जिला डिण्डौरी (म. प्र.)

....पुनरीक्षणकर्तागण

श्रीमान के आदेश दि. 29/3/16 के अनुसार संशोधन किया गया

मृतक अनावेदक केवलीलाल :-
1क रजनी पति स्व. गेंदलाल
1ख फुल्लूलाल
1ग फूलचन्द तनय स्व. गेंदलाल
1घ कलशाबाई पति गनेशलाल
— नि. ग्राम जोगीटिकरिया जिला डिण्डौरी म.प्र.
1ङ लक्ष्मीबाई पति गौतम — बसनिया पो. पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म.प्र.

29/3/16

.... न्यायालय स निम्नालखत पुनरीक्षण इस प्रकार करते है:-

दिनांक 11.03.2013 के न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय डिण्डौरी के विद्वान न्यायाधीश के प्रकरण क्रं. 09 (अ-5) 2012-13 में पारित आदेश धारा 107 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अनुसार किया गया आदेश से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण माननीय मंडल/बोर्ड के समक्ष निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार:-

भूमि ख. नं. 420/1, 420/2 रकवा 2.34 एवं 0.90 हे. भूमि हल्का नं. 20/42 रा.नि.मं. डिण्डौरी में पुनरीक्षणकर्तागणों के नाम पर ग्राम जोगीटिकरिया में स्थित है, जिसका पुनरीक्षणकर्तागण वैध भूमिस्वामी एवं हक हकूकदार है, के सीमांकन दिनांक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2104–तीन/13 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–5–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया यह निगरानी अपर कलेक्टर, डिण्डोरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अ–5/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11–3–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों के पूर्वाधिकारी गेंदालाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के कृषकों के मध्य विवाद की स्थिति पैदा होने के कारण संहिता की धरा 89 के अंतर्गत तहसीलदार, डिण्डोरी के समक्ष नक्शा दुरस्ती हेतु आवेदन दिया । तहसीलदार ने जांच उपरांत आदेश दिनांक 18–1–12 द्वारा नक्शा सुधार किए जाने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 25–9–12 द्वारा स्वीकार की एवं तहसील न्यायालय का आदेश इस आधार पर निरस्त किया कि संहिता की धारा 107 के तहत तहत नक्शा सुधार किए जाने की अधिकारिता कलेक्टर को है । तब गेंदालाल द्वारा नक्शा सुधार किए जाने हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनोंपक्षों की सुनवाई उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा नक्शा दुरस्त किए जाने का आदेश दिया साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यह आदेश प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 डिण्डोरी के व्यवहार वाद क्रमांक 63ए/12 में पारित आदेश दिनांक 6–11–12 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के अधीन होगा । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । 4/ उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस में उठाये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नक्शा दुरस्ती का है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकों द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध जिला न्यायाधीश, डिण्डोरी के	

प्र0 क0 निगरानी 2104-तीन/13 (महेन्द्र सरैया आदि विरूद्ध गेंदालाल एवं अन्य)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय में अपील की गई जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दी गई अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त योग्य पाया गया है तथा अपर कलेक्टर के आदेश के संबंध में भी विवेचना कर उसे उचित नहीं ठहराया गया है । आवेदक द्वारा उक्त आदेश के आधार पर निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । किंतु अनावेदकों की ओर से जो लिखित बहस पेश की गई है, उसके साथ जिला न्यायाधीश, डिण्डोरी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील क्रमांक 1292/2015 में पारित आदेश दिनांक 18-1-2016 की प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अनावेदकों द्वारा जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया गया है साथ ही पक्षकारों को आगामी पेश तक यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं । चूंकि प्रकरण अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, जहां प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नही होता है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	